मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.'';

(दो) उप धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उप धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(४) इस अधिनियम के उपबंध मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ (क्रमांक १० सन् २००१) के उपबंधों के अधीन लगाए गए वृक्षों को लागू नहीं होंगे.''.

धारा २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ग क) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, संबंधित राजस्व संभाग का आयुक्त;''.

धारा ४ का संशोधन

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उप धारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा नब्बे दिन की कालावधि के भीतर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहां किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गई हो.

स्पष्टीकरण—हक के अर्जन की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि हक का अंतरण लिखत द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अनधिक उतनी रकम प्राप्त कर सके जो कि कलक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कलक्टर, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिए अनुज्ञा दे सकेगा.''.